REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 7 | APRIL - 2025

भारत में घुमंतू व विमुक्त जनजातियों के अपवर्जन व समावेश का एक समजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. रिंकल
सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र), डॉ. बी. आर. अंबेडकर लॉ कॉलेज, कुरुक्षेत्र.

सार:

इस शोध पत्र के माध्यम से शोधार्थी विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित न करने के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान और उनकी विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर इन्हें समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि विमुक्त व घुमंतू समाज प्रारम्भ से ही विकास के विभिन्न कार्यकर्मो का लाभ लेने से वंचित रहा है। यह शोध पत्र घुमंतू व विमुक्त जनजाति के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पिछड़ेपन की समस्याओं पर केंद्रित है। इसका शीर्षक शोध पत्र को पूर्ण रूप से न्याय संगत करता है, साथ ही इस समाज के लोगों को विभिन्न संदर्भो में बहिष्कृत किया गया है उसका भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इस शोध पत्र के लेखन में अनुसंधान की विश्लेषणात्मक एवं सैद्धांतिक पद्धति का प्रयोग किया गया है और विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों की समस्याओं का उनके अनुरूप विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ- साथ उचित सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

भूमिका

भारत एक ऐसा प्रजातान्त्रिक देश है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्ताएं होते हुए भी मानवीय मूल्य उदहारणीय है। ऐसा भी कह सकते है की अनेकता में एकता का सूत्र मुख्य रूप से मानवीय मूल्यों पर आधारित है। भारतीय संविधान सभी नागरिको के मानव अधिकारों की सुरक्षा आश्वस्त करता है और समाज के सभी वर्गों के समान विकास के लिए एक समान मंच की रचना करता है। संविधान के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक इत्यादि के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किये गए है। हालाँकि इन सभी वर्गीकरण के बावजूद कुछ ऐसे समाजिक वर्ग है जिन्हें ऊपर लिखित समूहों में कोई स्थान नहीं मिल पाया जबकि समाज में इनकी अलग ही घुमंतू व विमुक्त जातियों के रूप में पहचान है। भारत में ये जातियाँ भिन्न-भिन्न सामाजिक वर्गों में पाई जाती है। भारत का एक बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग आजादी के बाद से ही विकास के विभिन्न कार्यकर्मो का लाभ लेने से वंचित रहा है। क्योंकि ब्रिटिश (अंग्रेजी) शासनकाल से ही अपनी घुमंतू प्रकृति के कारण इनके ऊपर अपराधिक होने का धब्बा लगा है। भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन तेज गति से विकसित हों रही है लेकिन अभी भी इन जनजातियों को आर्थिक समानता और विकास के बहुत से कार्यक्रमों से वंचित रहना पड रहा है। बहुत से आर्थिक संसाधनो का भी सही प्रकार से वितरण न होने के कारण घुमंतू व विमुक्त जनजातियों को समाज में एक हासिये पर रहने वाले वर्ग के रूप में जाना जाता है जो कि आजादी के पहले से लेकर आज तक विकास की मुख्य धारा से बाहर रखे गए है।

भारत में घुमंतू व विमुक्त जनजातियों का सामाजिक अपवर्जन एवं समावेश

संसार में बहुत सी जनजातियाँ घुमंतू जीवन व्यतीत करती है एवं उन्हें अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इसलिए इन्हें सामान्य रूप से घुमंतू जनजाति के नाम से जाना जाता है। Denotified

tribes को विमुक्त जाति व पूर्व अपराधिक जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। विमुक्त जनजाति वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपराधिक जनजाति के नाम से अपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अंतर्गत अधिसूचित किया था। आज के आधुनिक एवं प्रगतिशील जीवनशैली के काल में भी घुमंतू समाज के लोगों की जीवनशैली समान्यतः एक पलायनकारी के जैसी ही है जोकि एक स्थान से दुसरे स्थान पर जीवन यापन के लिए घूमते रहते है। इनके जीवन में पिछड़ेपन की झलक दिखाई देती है। भारत देश में इन जनजातियों की जनसंख्या लगभग 60 करोड़ है जबकि हरियाणा में इन जनजातियों की 26 जातियां हैं जो विमुक्त, घुमंतू और टपरिवास की श्रेणी में आती है और इनकी जनसंख्या लगभग 18 लाख से अधिक है। हरियाणा सरकार ने बंगाली, बरार, बोरिया, नट, गंदीला सांसी, तुग्स, महातम, ढिवारा, मिनास और भौरा ब्राह्मण जातियों को विमुक्त जाति घोषित किया है व बाजीगर, मीरासी, सिकलीगर, सपेरा, पेरना, गवाईरा, बंजारा, शोरगिर, हेरी, नायक, कंजर, डेहा, मल्लाह, गाड़ी लौहार जातियों को टपरीवास घोषित किया है तथा इन जातियों में से बंगाली, बौरिया, बाजीगर, डूमना, गगरा, गंदीला, नट, ओड, पेरना, सांसी, डेहा, गौरिया, बंजारा शोरगिर, सांसी, कंजर, सपेरा, सिकलीगर, सिरकीबंद जातियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से घुमंतू जाति घोषित किया गया है। गाड़िया लौहार को छोड़कर हरियाणा की लगभग सभी विमुक्त व घुमंतू जनजातिया निश्चित स्थानों पर रहकर व्यवसाय करने लगी है लेकिन अपनी सालों से घूमने की परंपरा के कारण इनके पास स्थायी रूप से अपना गुजारा करने के लिए प्रत्यक्ष आय के साधन जैसे कि खेती-बाड़ी के लिए जमीन इत्यादि नहीं है और इन्हें मजबूरन अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए इन जातियों के लोग अपने परंपरागत व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं जैसे कि गलियों में जंगली जानवरों को नचाना, मदारी, बहरूपिया बनना व भगवान के नाम पर भीख मांगना आदि। हालांकि भारत जैसे विकासशील देश में वैश्वीकरण की व्यवस्था ने घुमंतू व विमुक्त जाति की सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक जीवन व जीवन जीने के संसाधनों के परिदृश्य को काफी जटिल बना दिया है और इस कारण से ये लोग गरीबी बेरोजगारी व आय के साधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ तो इनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरी और अपराधिक जनजाति का धब्बा होने के कारण एवं पर्याप्त निपुणता न होने के कारण इन्हें कोई नई नौकरी भी नहीं मिल रही है।

नागरिकता के अधिकार से वंचित

विमुक्त, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू जातियां भारत जैसे प्रजातांत्रिक राज्यों में भी नागरिकता के अधिकार के लिए प्रयत्नशील हैं जिसको तीन भागों में बांटा जा सकता है समाजिक, राजनीतिक एवं नागरिक। यदि हम विमुक्त घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजातियों के संदर्भ में नागरिकता के अधिकार पर विचार करें तो प्राचीन काल से ही इन जनजातियों को बहुत से अधिकारों से वंचित किया गया है। जबकि यह देखने में आया है कि नागरिकता के अधिकारों के संदर्भ में ये समाज व्यक्तिगत आजादी, स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों से कोसों दूर है। ये एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह सकते थे जिसके कारण इनके पास आय के संसाधनों की कमी रही और इन्हें अपने परंपरागत व्यवसायो पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरी ओर अन्य समाज के लोग इन्हें अपने गाँव व बस्तियों में रहने नहीं देते थे क्योंकि इनके ऊपर अपराधी होने का धब्बा लगा हुआ था। इस अपराधिक धब्बे ने इनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया एवं इनको आम समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। इस प्रकार ये लोग अपने नागरिकता के अधिकारों का आनंद नहीं ले पाए।

विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों की राजनीतिक भागीदारी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इनको मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। राजनीतिक अधिकार से हमारा अभिप्राय राजनीतिक शक्ति के उपयोग में भागीदारी से है जैसे संसद का सदस्य बनना या विधानसभा में भागीदारी से है। घुमंतु, अर्धघुमंतू व विमुक्त जाति के लोग अपनी घुमंतू प्रकृति के कारण एक स्थान पर नहीं रहते थे जिससे उनके नागरिकता संबंधी दस्तावेज जैसे- राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि नहीं बन पाए जिस कारण इनको देश के नागरिक के रूप में पहचान नहीं मिल पाई, इसी कारण इनको राजनैतिक अधिकार मिलने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन जनजातियों के लोग हमेशा से ही सरकार के द्वारा चलाई गई कल्याणकारी सेवाओं व सुविधाओं से वंचित रहे क्योंकि इनके पास अपनी नागरिकता के आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारत सरकार खादय व अखादय सामग्री को रियायती या कम दामों पर समाज के पिछड़े वर्गों को उपलब्ध कराती है जैसे- अनाज, चीनी, दाल, तेल आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड एक मुख्य दस्तावेज है लेकिन राशन कार्ड न होने के कारण ये लोग सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते।

सामाजिक अधिकार से अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति समाज में सभ्य जीवन जीये जो कि उस समाज में उस समय के सामाजिक मानक के आधार पर हो, लेकिन इन समुदायों का अस्तित्व भी बाकी समाज ने त्याग दिया। इन समुदायों के लोग गांव के आसपास 3 दिन से

ज्यादा ठहर नहीं सकते थे जब कभी ये लोग गांव में अपने रोजगार की तलाश में आते थे तो गांव के अंदर मुनियादी होती थी कि गांव में चोर आए हैं सभी सचेत होकर रहे। ऐसी परिस्थितियों में इन जनजातियों के लोगों के लिए सामाजिक अधिकारों का आनंद लेना संभव नहीं था। समाज में इस प्रकार के व्यवहार के कारण इन समुदायों के लोगों का गांव में जीवन यापन के लिए साधन पर्याप्त होना केवल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस तरह ये लोग समाज व सरकार दोनों से ही बहिष्कृत रहे।

शैक्षणिक अधिकार या शिक्षा से वंचित

घूमने-फिरने की परंपरा के कारण विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजातियों के लोग समाज की स्थाई विद्यालय प्रणाली के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहे। शिक्षा इन समुदायों के लोगों के लिए सच ना होने वाला सपना। इन समुदायों के अधिकतर लोग अशिक्षित थे आज यदि कुछ लोग शिक्षित भी है तो मैट्रिक (10th) कक्षा तक ही शिक्षित है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से घुमंतू जनजातियों में शिक्षा का स्तर ना के बराबर है। पंजीकरण की दृष्टि से विद्यालय में उपस्थिति की दृ ष्टि से, कक्षा में उनके प्रदर्शन से, लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से एवं स्कूल छोड़ने के दृष्टिकोण से ये सभी जनजातियां बिल्कुल निम्न स्तर पर है। हालांकि इनमें से काफी सारे लोग बहुत गरीब है ये अप्रशिक्षित श्रमिक के तौर पर कार्य करते हैं, जिससे सामान्यता अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग साक्षर भी नहीं है। शिक्षा किसी भी समाज में सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए व समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए मुख्य आधार हैं। घुमंतू, विमुक्त व अर्ध घुमंतू जनजातियां भी शिक्षित होंगी तो उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति भी संभव होंगी। अभी हाल ही में 2010 में भारत सरकार ने शिक्षा को 6-14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार घोषित किया। शिक्षा जहां एक तरफ मौलिक अधिकार है वहीं दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक, सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार भारत सरकार हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल स्थापित करेगी। और कक्षा 6 से 8 तक हर एक 3 किलोमीटर में स्कूल स्थापित करेगी। विमुक्त व घुमंतू जनजाति के लोग गांव की सीमाओं पर रहते हैं साथ ही साथ इन समुदायों के लोगों का एक जगह पर ठिकाना नहीं होता। ऐसे में इनके बच्चों को स्कूल में लेकर जाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना भी कम ही है। ये अपने बच्चों को परंपरागत व्यवसाय में लगाने के लिए दबाव डालते हैं। घुमंतू समुदाय अपना सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक ज्ञान अपने बच्चों को उनके परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। पिछले कुछ दशकों में घुमंतू समुदायों के लोगों की जीवन शैली में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है जिसका मुख्य कारण वैश्वीकरण के कारण आए नीतिगत बदलाव है। इन सभी बदलाव से विमुक्त व घुमंतू समुदाय के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा यहां तक कि इनके परंपरागत व्यवसाय भी छीन गए। आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षित न होने के कारण इन समुदायों के लोग आजीविका के लिए नए रोजगार जुटाने में भी असफल रहे। शिक्षा की कमी के कारण इन समुदायों के लोग बेरोजगारी, अंधविश्वास व गरीबी के कुचक्र में धंस गए।

राजनीतिक बहिष्करण

ये समुदाय शुरुआत से ही राजनीतिक रूप से पिछड़े रहे व छोटे-छोटे कबीलों में बंटे रहे। कबीलों में सरदारी व्यवस्था तो होती थी लेकिन इन कबीलों का कोई ज्यादा राजनीतिक महत्व नहीं था। ये समुदाय अपने राजनीतिक अधिकारों की पूर्ति से भी बहुत दूर थे। आजादी के बाद भारत सरकार ने विमुक्त, घुमंतू व अर्धघुमंतू जातियों की स्थिति में सुधार के लिए अध्ययन हेतु बहुत से आयोग व समितियों का राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया जैसे कि अयंगर समिति 1949, कालेलकर समिति 1953, लोकुर समिति 1965, मंडल आयोग 1980, न्यायमूर्ति वेंकटचलियाँ आयोग 2002, डॉक्टर अनथोलिकर समिति 1949, ठाड़े समिति 1960। इन सभी समितियों और आयोगों ने अपने सुझाव सरकार को दिए लेकिन उन पर कोई ज्यादा कार्यवाही नहीं हुई। इन सभी समितियों ने विमुक्त, घुमंतू व अर्धघुमंतू जातियों को इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों के आधार पर इन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिशें की। राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शैक्षणिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े समुदायों की उन्नति के लिए उचित प्रावधान करने के लिए जिम्मेवार है, इसके साथ-साथ राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इन समुदायों का कोई शोषण न हो। हरियाणा सरकार द्वारा राजीव जैन की अध्यक्षता में सितम्बर 2015 में ही एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें डॉक्टर बलवान सिंह, हनुमान गोदारा, विजय वत्स व विजय शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया। समिति द्वारा इन जातियों के लोगों के बीच में जाकर इनकी वास्तविक स्थिति का जायजा लिया तथा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से क्रीड संस्था चंडीगढ़ द्वारा सर्वे करवाया गया। राजीव जैन समिति द्वारा की एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट व इन जातियों के लोगों के बीच में जाकर इनकी वास्तविक स्थिति

और समस्याओं के आधार पर जोगी, मनियार, माट रेबारी व मदारी सहित पांच नई जातियों को विमुक्त एवं घुमंतू जातियों की सूची में शामिल करने व विमुक्त, घुमंतू व अर्धघुमंतू सूची को संशोधित करते कुछ पर्यायवाची नामों को भी शामिल करने की सिफारिश की गई।

डीएनटी को सूचीबद्ध करना

हरियाणा सरकार ने राजीव जैन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सितंबर 2018 में हरियाणा के विमुक्त, घुमंतू व अर्धघुमंतू जातियों की निर्धारित अनुसूची में नई जातियों और कुछ पर्यायवाची नामों को भी शामिल करने व संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विमुक्त, घुमंतू व अर्धघुमतू जातियों की निर्धारित अनुसूची को संशोधित कर उसमें नई जातियों और कुछ पर्यायवाची नामों को शामिल करने की सिफारिश की, जिसे मानते हुए सरकार ने जुलाई 2019 में अधिसूचना जारी कर दी। इन सभी सुझाव का उद्देश्य इन जातियों का आर्थिक, शैक्षणिक विकास करना था क्योंकि आर्थिक व शैक्षणिक विकास के बिना इन समुदायों के लोग सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ नहीं ले सकते। इसके साथ ही सरकार से यह अपेक्षा की गई कि सरकार ने जो योजनाएं इनके उत्थान के लिए चलाई हैं उनके क्रियान्वयन में आने वाली रुकावटें एवं क्रिया संबंधी असुविधाओं का जल्द से जल्द हल निकाल कर इन योजनाओं का अधिक-से-अधिक लाभ इन समुदायों को मिले, इसके लिए कदम उठाना चाहिए।

जीवन यापन के साधनों की कमी

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के चलते नई आर्थिक नीतियों एवं कानूनों में आए परिवर्तन से घुमंतू व अर्धघुमंतू समुदायों के लोगों के परंपरागत व्यवसायों को समाज में बनाए रखना उनके लिए मुश्किल व असंभव हो गया है। ये अपने व्यवसाय को प्रशिक्षण की कमी के कारण बदलने में भी असमर्थ हैं। रागवईयां (1968) ने इन समुदायों को इनके व्यवसाय के आधार पर अपनी पुस्तक 'नोमड्स मे इनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है जैसे कि भोजन इकट्ठा करने वाले घुमंतू देहाती घुमतू, व्यापारी घुमतू, भिखारी घुमतू, अपराधी घुमतू। मिलेंद बोकिल ने व्यवसाय के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया शिकारी घुमंतू, वस्तु व सेवाएं देने वाले घुमंतू मनोरजन करने वाले घुमंतू, धार्मिक घुमंतू। कुछ घुमंतू एवं विमुक्त जनजातियों का व्यवसाय बैल ढोना, सपेरा, बंदरों का प्रशिक्षण, भालुओ का प्रशिक्षण इत्यादि था और इनका जीवन यापन परंपरागत व्यवसायों पर ही निर्भर था परंतु सरकार की नई नीतियों व कानूनों ने विमुक्त घुमंतू और अर्धघुमंतू जातियों के लोगों को काफी प्रभावित किया। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के आने के बाद शिकार करने वाली जनजाति ने अपना जीवन-यापन करने का व्यवसाय खो दिया। धारा 9 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी भी व्यक्ति को वन्य जीव जंतु जो कि भाग 1.2.3 में दिए गए किसी को भी शिकार करने की अनुमति नहीं है, केवल भाग 4 को छोड़कर। यह अधिनियम धारा 17 ए के अंतर्गत बहुत से पौधों को काटने, इकट्ठा करने, व इन से संबंधित व्यापार को भी प्रतिबंधित करता है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के लागू होने के बाद के वह सभी समुदाय जो पशु कलाकारी पर निर्भर करते थे उन सभी ने अपना परंपरागत व्यवसाय खो दिया। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है, अनुच्छेद 51A के उपखंड (घ) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पशुओं को सभी प्रकार की क्रूरता से बचाने के लिए एवं संविधान में नियमित मौलिक कर्तव्य की पूर्ति के लिए ऊपर लिखित पशुओं के प्रति क्रूरता उन्मूलन अधिनियम 1960 को बनाया गया। इन सभी कानूनों के चलते सभी घुमंतू व विमुक्त जनजातियों के समुदाय जो कि पशुओं के शिकार पर निर्भर थे उनके व्यवसाय समाप्त हो गए, उनके पास अन्य व्यवसाय उपलब्ध न होने के कारण वे सभी और भी गरीब हो गए। कुछ घुमंतू व विमुक्त समुदाय अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने का काम करते थे. लेकिन मुंबई भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959, दिल्ली भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम व हरियाणा भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1971 ने भिक्षावृत्ति को एक अपराध बना दिया जिससे कि सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगना एक दंडनीय अपराध हो गया, जिस कारण कुछ घुमंतू व विमुक्त जनजातियों ने अपने व्यवसाय खो दिए, साथ ही किसी अन्य व्यवसाय का प्रशिक्षण न होने के कारण उन्हें नया काम भी नहीं मिल सका। इन हालातों में ये समुदाय अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हो गए और दोबारा फिर पुलिस प्रशासन के हाथों शोषित हुए। हालांकि जीवन यापन के लिए अन्य साधन इनके पास उपलब्ध नहीं था, कुछ घुमंतू व विमुक्त समुदाय जैसे कि मंदारी, बहरूपिया, सपेरा, भाट इत्यादि गली-गली घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे लेकिन उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में मनोरंजन के नए-नए साधनों का आगमन हुआ जैसे कि सिनेमा, टीवी और अन्य आधुनिक मनोरंजन के संसाधन, जिसके कारण परंपरागत मनोरंजन के व्यवसाय बंद हो गए क्योंकि आधुनिक मनोरंजन के साधन अधिक बेहतरीन मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे साथ

ही साथ इन संसाधनों में कार्यक्रमों की सूची भी भिन्न-भिन्न पसंद के अनुरूप उपलब्ध थी। जिसके कारण दिन प्रतिदिन घुमंतू समुदायों द्वारा किए जाने वाले मनोरंजन में रूचि कम होने लगी जिसके परिणाम स्वरूप इन समुदाय के लोगों का परंपरागत व्यवसाय बंद होने लगा व इनके जीवन-यापन के साधन समाप्त होने लगे।

कुछ घुमंतू व विमुक्त जनजातियों के लोग भगवान के नाम पर भीख मांगते थे जैसे कि जोगी, गोसावी, डकोत इत्यादि। ये समुदाय भगवान की भक्ति करते थे और लोग इन्हें भगवान के दूत समझते थे और इनका जीवन-यापन इस प्रकार भीख मांगने पर निर्भर था। आधुनिकरण की प्रक्रिया से समाज में जागरूकता बढ़ी, साथ-ही-साथ अंधविश्वास का समाज में खण्डन होने लगा। इन सभी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इन समुदाय के लोगों के प्रति अन्य समाज ने रुचि लेना बंद कर दिया, जिससे इन लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया और ये सभी गरीबी की ओर धकेले गए। क्योंकि किसी अन्य व्यवसाय में प्रशिक्षण व निपुणता न होने के कारण इनको कोई नई नौकरी मिलना संभव नहीं थी। इसके फलस्वरूप न केवल यही लोग बल्कि इनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। इन समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते थे क्योंकि यह इनके घुमंतू होने के कारण संभव भी नहीं था। इन सब के कारण इनके नई पीढ़ी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इन्हें जीवन-यापन के साथ साधनों की कमी के कारण बहुत से कष्ट उठाने पड़े। कुछ घुमंतू व विमुक्त जनजातियां, जैसे सिकलीगर, कंजर, भाट, छप्परबंध, वध्य आदि समाज में बहुत सी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे जैसे कि हाथ से बने ऊनी कपड़े, देसी शराब, हाथ से बनी टोकरिया, पत्थर से बनी सजावट की चीजें, ऊन से बने कंबल इत्यादि। इन समुदाय के लोग अपने हस्तकलाओं के कारण सुप्रसिद्ध थे। ये सभी वस्तुएं न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात करते थे जिसके परिणाम स्वरुप ये जनजातियां न केवल अपना ही अच्छा गुजारा करती थी बल्कि दूसरी जनजातियों को पैसे उधार वह ब्याज पर भी देते थे। परंतु आधुनिक औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण के कारण इनके परंपरागत व्यवसाय भी ठप होने लगे। आधुनिक मशीनीकरण के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ी और साथ-ही-साथ कपड़ा व अन्य वस्तुओं में सफाई व चमक भी बडी, जिस कारण मशीनों पर बनी वस्तुएं हस्तकार की बनी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक प्रतीत होती थी, इससे धीरे-धीरे विमुक्त व घुमंतू समुदाय के लोगों का हस्तशिल्प का व्यापार भी घटने लगा परिणामस्वरूप इनके जीवन यापन के साधन भी कम हो गए।

इन जनजातियों का उचित राजनीतिक प्रतिनिधिव न होने के कारण व इनके संगठित ना होने के कारण इन समुदायों को पंचवर्षीय योजनाओं में भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर आज तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण किया जाए तो आपको पता लगेगा कि इन समुदायों के लोगों को इनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचवर्षीय योजना के बजट में कोई अच्छा स्थान नहीं मिल पाया।

प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल चार करोड़ के लगभग राशि विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के पुनर्वास के लिए खर्च की गई जिसमें इस समुदायों के लोगों के लिए रिहायसी मकानों का निर्माण करने का निश्चय किया गया। लेकिन इनमें से बहुत से समुदाय फिर भी घुमंतू जीवन व्यतीत करते रहे क्योंकि सरकार की योजनाएं ठीक प्रकार से लागू ना हो सकी। सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में घुमंतु, अर्धघुमंतू व विमुक्त जनजातियों को अपनी योजनाओं में शामिल किया लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बजट का कितना भाग इन पर खर्च होगा। इसके बाद सातवीं से दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में विमुक्त, घुमंतू व अर्धघुमंतू समुदायों के लिए कोई योजना नहीं रखी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतराल में भारतीय योजना आयोग ने घुमंतू व विमुक्त जनजातियों के लिए जो कि अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आते थे, शिक्षा व आर्थिक उन्नति के लिए बजट की योजना में प्रावधान किया। यदि हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं में दिए गए बजट की तुलना पिछड़ी जाति, विमुक्त व घुमंतू जनजाति के संदर्भ करें तो स्पष्ट होता है कि जिस अनुपात में पिछड़ी जातियों के लिए बजट बढ़ा उस अनुपात में विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के लिए नहीं। आजादी से लेकर आज तक सरकारों ने इन समुदायों के लिए ज्यादा प्रभावी कदम नहीं उठाए। हालांकि योजना आयोग ने इनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार के पास विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतू जनजातियों की जनसंख्या का सही आंकड़ा भी नहीं है जिस कारण यह कार्यक्रम भी अच्छी प्रकार से लागू नहीं किए जा सके।

निष्कर्ष

भारत में जनजातियों का स्वरूप विश्व के अन्य देशों से भिन्न है। लेकिन मानवीय मूल्यों पर आधारित मान्यताएं एवं सामाजिक ताना-बाना, अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ-साथ सभी नागरिकों के मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हरियाणा में जनजातियों की जनसंख्या लगभग 18 लाख से अधिक है लेकिन इन सभी को बहुत से अधिकारों से वंचित रखा गया है। इन जनजातियों में शिक्षा का अभाव एवं साक्षर दर कम होने के कारण यह सभी अपने

अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है वर्तमान समय में व्यापार व तकनीकी में आए बदलाव के परिणाम स्वरूप इन जनजातियों के परंपरागत व्यवसाय लगभग समाप्त हो गए जिस कारण ये सभी बेरोजगारी एवं गरीबी के कुचक्र में धंस गए। हालांकि भारत सरकार ने विमुक्त. घुमंतू व अर्धघुमंतू जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु बहुत से आयोग व समितियों का राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर गठन किया। लेकिन इन सभी के सुझाव पर ज्यादा अमल नहीं हुआ। इन जनजातियों के उत्थान के लिए जिन योजनाओं को चलाया वह सभी योजनाएं भी भिन्न-भिन्न कारणों से विफल हो गई। सरकार को अकेले ही इन सब के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है इसलिए सामान्य जन को भी सरकार के साथ मिलकर इनकी स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करने होंगे। पुराने समय से इन जातियों के साथ किए जा रहे अत्याचार एवं भेदभाव से उत्पन्न हुए कुप्रभाव को कम करना भी आवश्यक है। शोधार्थी निम्नलिखित सुझाव के द्वारा इन जनजातियों को समाज की मुख्यधारा में लाए जाने की अपेक्षा रखता है:

1. सरकार को इन जातियों की पहचान करवाकर इनकी सही जनसंख्या का आंकड़ा जुटाना चाहिए।
2. इन जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार वार्षिक बजट में इनके लिए उचित प्रावधान कर बजट को एक सुनिश्चित हिस्सा इनके उत्थान के लिए खर्च करना चाहिए।
3. घुमंतू जनजातियों को स्थाइत्व प्रदान करने के लिए उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. इन जनजातियों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर खर्च होने वाले वार्षिक बजट में इनके लिए विशेष शैक्षणिक सुविधा पैकेज पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
5. इन जनजातियों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए।
6. अंत में मैं यही कहना चाहुंगी कि आम समाज की भागीदारी के बिना, केवल सरकार की योजना व नीति के बल पर इन जनजातियों की स्थिति में सुधार करना संभव नहीं है इसलिए अन्य जातियों को भी चाहिए कि वे सुख व दुख के अवसरों पर इनके साथ मेलजोल करे, साथ ही पुरानी धारणाओं से निकलकर इस समाज के लोगों को मुख्यधारा में शामिल कराने के प्रयास करें।

सन्दर्भ सूची

1. Ayyangar A. (1949-50), The Report of the Criminal Tribe Act Enquiry Committee, Govt. of India.
2. Bhargava, B.S. (1949), The Criminal Tribes of India, Universal Publishers, Lucknow.
3. Gandhi, Dr. Malli, (2008) Denotified Tribes Dimensions of change, New Delhi, Kanishka Publishers, Distributors.
4. Gazette, Notification, Extraordinary, No.903-SW(1)-2019, dated 05/07/2019, Govt. of Haryana.
5. Gupta Manju (2003), Janjatiyon Ka Samajik Artik Uthan, New Delhi, Arjun Publication. San House.
6. Hollins, S.T. (2005), The Criminal Tribes in India, Delhi, Nidhi Book Centre.
7. Ibbetson, Denzil (1883), A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province.
8. Jaspal Singh (1976), Reformation of ex-criminal Tribes, Hyderabad. Journal of Asiatic Society. Nov. IV
9. Kapadia, K.M. (1952), The Criminal Tribes of India" in Sociological Bulletin, No.1 & 11, March.
10. Mithilesh Gupta (1964), Rehabilitation of Criminal Tribes. The Eastern Anthropologist. Vol 17(1).
11. Morris Norval (1951), The Habitual Criminal, New York, Harvard University Press.
12. Muthuswamy and Brinda (2015), Swamy's compilation on Reservations and Concessions, Chennai, Swamy Publisher (P) Ltd.
13. Raghavaiah, V. (1943), The Problems of Criminal Tribes, New Delhi, Bharatiya Adimjati Sevak Sangh
14. Renke B.S. (2008), National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribe, Volume-II, Govt. of India
15. Singh, Birinder Pal (2010) 'Criminal' Tribes of Punjab A Social Anthropological Inquiry. Abingdon, Routledge

16. Singh, K.S. (1994), People of India- Haryana, Vol-XXIII New Delhi, Manohar Publishers and Distributors
17. The Report of Idate Commission (2009) National Commission for Denotified Nomadic and Semi- Nomadic Tribe (2017), Govt. of India.
18. The Constitution of India.hup://censusindia.gov.in
19. www.scbcftry.gov.in/welfare-shemes/
20. www.socialjustice nic.in/schermeslist/index?mid